परिपत्र संख्या 04/2021

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान
"पंजीयन–भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ–7(42)जन/विविध/2021/3203 दिनांक : 16-03-2021

~:~ परिपत्र ~:~

प्रायः उपपंजीयक कार्यालयों में प्राईवेट कार्मिक रखे जाने, अनाधिकृत कम्प्यूटर आपरेटर रखे जाने की शिकायतें प्राप्त होती है साथ ही सूचना सहायकों/विभागीय कार्मिकों से ई–पंजीयन का कार्य नहीं कराया जा रहा है। विभाग द्वारा पूर्व में भी परिपत्र संख्या 06/2019 दिनांक 07.03.2019 से निर्देशित किया जा चुका है, फिर भी कई कार्यालयों द्वारा इसकी पालना नहीं की जा रही है। जिन पूर्णकालीन उपपंजीयक कार्यालयों में सूचना सहायक/विभागीय कार्मिक का पदस्थापन है वहां अनाधिकृत प्राईवेट कम्प्यूटर आपरेटर/कार्मिक की सेवायें नहीं ली जावें।

भविष्य में यदि किसी कार्यालय में अनाधिकृत प्राईवेट कम्प्यूटर आपरेटर/कार्मिक रखे जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित उपपंजीयक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

16/3/21

(महावीर प्रसाद)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान–अजमेर

क्रमांकः एफ–7(42)जन/विविध/2021/3204–3335 दिनांक : 16-03-2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर।
2. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान।
3. समस्त पूर्णकालीन उप पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान।

(भगवत सिंह राठौड)
अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रवर्तन)
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान–अजमेर

Scanned with CamScanner